भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1657
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार, 12 मार्च, 2015 को दिया जाना है

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों हेतु नियोजित निवेश के लिए सहायता

1657. श्री मोहम्मद अली खान:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सुदृढ़ करने के लिए नियोजित तरीके से निवेश करने हेतु बजटीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो चालू पंचवर्षीय योजनावधि में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक उद्यम के लिए तत्संबंधी वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सर्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक उद्यम की ओर से प्राप्त कितने प्रस्ताव लंबित हैं और प्रत्येक प्रस्ताव के संबंध में कब तक कार्रवाई की जाएगी तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को उद्यम-वार कितनी राशि स्वीकृत की गई?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क): 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के लिए योजना कार्य के भाग के रूप में भारी उद्योग विभाग में योजना निवेश के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दो समूहों में बजटीय सहायता दी जाती है:-

(i) भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पुनर्गठन।
(ii) भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को परियोजना आधारित सहायता।

(ख): केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को वर्षवार बजटीय सहायता का ब्यौरा **विवरण पत्र 'क'** में दिया गया है। जानकारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम-वार रखी जाती है न कि राज्य-वार।

(ग): केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में योजना निवेश से संबंधित कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

*****

विवरण पत्र 'क'

श्री मोहम्मद अली खान, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए दिनांक 12.03.2015 के राज्यसभा अतारांकित प्रश्न सं. 1657 के भाग (ख) में उल्लिखित विवरण पत्र।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	**योजनाएं**	**सकल बजटीय सहायता 2012-13 (वास्तविक)**	**सकल बजटीय सहायता 2013-14 (वास्तविक)**	**सकल बजटीय सहायता 2014-15 (संशोधित प्राक्कलन)**	**सकल बजटीय सहायता 2015-16 (बजट प्राक्कलन)**
1	2	3	4	5	6
1	**भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पुनर्गठन**				
i	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (धारक) को ऋण	0.00	11.46	0.00	0.00
ii	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (धारक) में निवेश	0.00	217.00	0.00	0.00
iii	नगालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड	0.00	100.00	0.00	54.00
2	**केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/ स्वायत्त निकायों को परियोजना आधारित सहायता**				
i	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	0.00	31.90	0.00	0.00
ii	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड कछाड़ पेपर मिल	0.00	47.23	325.86	50.00
iii	नेपा लिमिटेड	60.00	8.10	50.00	50.99
iv	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल) में निवेश	0.00	1.50	5.00	10.00
v	हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड में निवेश	0.00	0.00	0.00	10.00
vi	हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड को ऋण	0.00	0.00	0.00	40.00
vii	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड को ऋण	0.00	58.50	0.00	0.00
viii	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल) को ऋण एवं अग्रिम	0.00	0.50	2.00	0.00
ix	जगदीशपुर पेपर मिल लिमिटेड	0.00	0.00	18.00	0.01
	कुल	60.00	476.19	400.86	215.00

****